संख्या– 502/औ0वि0/03–143–उद्योग/2003

प्रेषक,

श्री एस0कृष्णन,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन,
देहरादून।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

औद्योगिक विकास विभाग देहरादूनः दिनांक 23 अगस्त, ,2003

विषय :– प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों को शासकीय कय में मूल्य वरीयता/कय वरीयता दिया जाना।

महोदय,

प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश की औद्योगिक नीति, 2003 में राजकीय खरीद में वरीयता दिये जाने हेतु प्राविधान किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों द्वारा उत्पादित माल के राजकीय खरीद में वरीयता दिये जाने हेतु शासन द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0–3075/187–उद्योग/औ0वि0–1/2002 दिनांक 21–09–2002 एवं शासनादेश संख्या–264/औ0वि0/187–उद्योग/ 2001 दिनांक 1 मई, 2003 एवं अन्य सभी संबन्धित शासनादेशों जो कि क्रय वरीयता/मूल्य वरीयता के सम्बन्ध में वर्तमान में उत्तरॉचल में प्रभावी हैं, को औद्योगिक नीति 2003 के परिपेक्ष में अतिक्रमित करते हुये निम्नवत् मूल्य वरीयता/कय वरीयता की नीति निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. शब्दावली "मूल्य वरीयता/कय वरीयता" से तात्पर्य शासकीय कय में निविदा के समय प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों को दी जाने वाली वरीयता से होगा।

2. प्रदेश की इकाईयों को कय वरीयता की नीति :

(क) यदि आई.एस.आई. अथवा आई.एस.ओ. अथवा अन्य विशेषिकृत उत्पादों को खरीदे जाने की आवश्यकता हो, तो आवश्यकता का विवरण निविदा में ही दे दिया जाए।

(ख) गुणवत्ता से बिना समझौता किये हुये प्रदेश की बृहद् एवं मध्यम उद्योगों को प्रदेश की बाहर की सभी इकाईयों की तुलना मे कय वरीयता दी जायेगी, बशर्ते वह निविदा खुलने के बाद न्यूनतम दर से 15 प्रतिशत की सीमा के अन्दर अपनी दर दी गयी हो और वह न्यूनतम दर पर आपूर्ति करने पर

सहमति दे। क्रय मात्रा इकाईयों की आपूर्ति करने की क्षमता के अनुरूप क्रयकर्ता संस्था द्वारा तय की जायगी।

(ग) प्रदेश की खादी ग्रामोद्योगिक /लघु एवं कुटीर इकाईयों को गुणवत्ता से बिना समझौता किये हुये अन्य सभी इकाईयों की तुलना में क्रय वरीयता दी जायेगी बशर्ते कि ऐसी इकाईयों ने निविदा में न्यूनतम दर से 15 प्रतिशत की सीमा के अन्दर अपनी दर दी हुई हो।

(घ) शासकीय क्रय में दरों की तुलना सभी प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर की इकाईयों की व्यापार कर रहित एफ0ओ0आर0 डैस्टिनेशन के आधार पर की जायेगी एवं इन्हीं एफ0ओ0आर0 डैस्टिनेशन दरों पर क्रय वरीयता दी जायेगी।

(ड) शासकीय क्रय करते समय यदि ऐसी निविदा प्राप्त होती है, जिसमें केवल प्रदेश के बाहर की इकाईयाँ भाग लेती हैं, तो उसमें न्यूनतम दर देने वाली इकाई को ही स्वीकार किया जाएगा एवं दरों की तुलना व्यापार कर सहित एफ0ओ0आर0 डैस्टिनेशन के आधार पर की जायेगी। यदि न्यूनतम दर वाली इकाई की क्षमता माँग के अनुरूप न हो, तो उस दशा में न्यूनतम दर से ऊपर की इकाई/ इकाईयों को बढते दरों के क्रम अनुरूप क्रय सूची में सम्मिलित कर लिया जाए बशर्ते कि वें इकाईयाँ भी न्यूनतम दर पर आपूर्ति करने के लिये सहमत हों। क्रय मात्रा इकाईयों की आपूर्ति क्षमता के अनुरूप क्रय कर्ता संस्था द्वारा तय की जायेगी।

3– **प्रदेश की इकाईयों को मूल्य वरीयता की नीतिः–**

(क) शासकीय क्रय में दरों की तुलना सभी प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर की इकाईयों की व्यापार कर रहित एफ0ओ0आर0 डैस्टिनेशन के आधार पर की जायेगी एवं इन्हीं एफ0ओ0आर0 डैस्टिनेशन दरों पर मूल्य वरीयता दी जायेगी।

(ख) प्रदेश की खादी ग्रामोद्योगिक /लघु एवं कुटीर इकाईयों को अन्य सभी इकाईयों की तुलना में 15 प्रतिशत तक मूल्य वरीयता दी जायेगी। इकाईयों से क्रय उनकी दी हुई दर पर किया जायेगा, यदि वह न्यूनतम दर से 15 प्रतिशत तक अधिक हो ।

(ग) खरीदी जाने वाली मात्रा को एक से अधिक निविदा दाताओं के मध्य इकाईयों की अपूर्ति क्षमता के अनुरूप विभाजित करने की आवश्यकता की स्थिति में (उपरोक्त प्रस्तर 3 के ख) पर वर्णित इकाईयों को मूल्य वरीयता प्रदान करते समय इकाईयों द्वारा निविदा में अंकित न्यूनतम मूल्य पर ही सभी ऐसी इकाईयों को क्रय आदेश एक समान न्यूनतम मूल्य पर दिये जायेगें जिसकी सहमति ऐसी इकाईयों को देनी होगी ।

(ड) प्रदेश की बृहद एवं मध्यम उद्योगों को कोई मूल्य वरीयता नहीं दी जायेगी।

4. प्रदेश की जिला उद्योग केन्द्र/खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत स्थाई रूप से पंजीकृत लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाईयों से धरोहर राशि/ प्रतिभूति राशि (**EMD/Security Deposit**) निम्न प्रकार ली जायेगी ।

कमांक	विवरण।	प्रदेश के बाहर की इकाईयों की तुलना में	
		धरोहर राशि	प्रतिभूति राशि।
1.	खादी ग्रामोद्यौगिक इकाईयॉ	शून्य	10 प्रतिशत
2.	लघु इकाईयॉ	25 प्रतिशत	50 प्रतिशत
3.	बृहद /मध्यम इकाईयॉ	50 प्रतिशत	75 प्रतिशत।

5. कय में प्रथम वरीयता प्रदेश की खादी एवं ग्रामोद्यौगिक इकाईयों ,द्वितीय लघु एवं कुटीर इकाईयों, तृतीय प्रदेश की अन्य इकाईयों एवं अन्तिम वरीययता प्रदेश के बाहर की इकाईयों को दी जायेगी। प्रदेश की सभी इकाईयों को सामग्री आदेश इकाईयों की आपूर्ति क्षमता के अनुसार आवंटन के बाद शेष बची सामग्री मात्रा का आवंटन प्रदेश से बाहर की इकाईयों को किया जायेगा एवं दरों की तुलना व्यापार कर सहित एफ0ओ0आर0 'डैस्टिनेशन दरों पर की जायेगी।
6. प्रदेश की इकाईयों द्वारा उत्पादित सामग्री की गुणवत्ता,उत्पादन एवं आपूर्ति क्षमता का ऑकलन कय कर्ता संस्था द्वारा किया जायेगा एवं इस विषय पर कय संस्था का निर्णय अन्तिम होगा।
7. जिन मामलों में धरोहर/जमानत की धनराशि बिलकुल नहीं जमा कराई गई है अथवा रियायती दर पर जमा कराई गई है, ऐसी इकाईयों को भुगतान सामग्री की सही गुणवत्ता/मात्रा में प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जायेगा।
8. शासकीय कय का तात्पर्य उत्तरांचल शासन के अधीन समस्त शासकीय विभागों/निगमों/विकास प्राधिकरणों/संस्थानों आदि के द्वारा किये जाने वाले कय से होगा। यह आदेश विश्व बैंक द्वारा पोषित योजनाओं में लागू नहीं होंगे। चिकित्सा विभाग तथा अन्य विभागों जहॉ पर विशेष प्रतिबन्धों के अधीन विशेष गुणवत्ता की सामग्री का कय किया जाता है, अपने आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रतिबन्ध जैसा उचित समझें क्रय के समय लगा सकते हैं।
9. यदि उत्तरांचल में स्थित सरकारी या गैर सरकारी संस्थाऐं अथवा उनके द्वारा संचालित इकाईयॉ लघु उद्योगों की श्रेणी में आती हैं, तो उन पर भी उपरोक्त प्राविधान लागू रहेंगे।
10. उद्योग विभाग ने दर अनुबन्ध (**Rate Contract**) की शर्तों पर कय करने की प्रथा को पूर्व में ही समाप्त कर दिया है। सम्बन्धित विभाग अपने–अपने कय इस शासनादेश के अन्तर्गत स्वयं विभागीय प्रतिनिधायन (**Delegation of Powers**) के आधार पर करेंगे।
11. मूल्य एवं कय वरीयता केवल आपूर्ति अनुबन्ध (**Supply Contract**) में प्रदेश में स्थापित उत्पादन करने वाली इकाईयों (**Manufacturing units**) को ही अनुमन्य होगी।
12. मूल्य तथा कय वरीयता की यह नीति दिनांक 31 मार्च, 2008 अथवा अग्रिम शासनादेश जारी होने तक लागू रहेगी।
13. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–1115/वि0अनु0–3 दिनांक 23 अगस्त–2003 में प्राप्त सहमति के आधार पर जारी किये जा रहें है

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें एवं इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,

(एस0कृष्णन)
प्रमुख सचिव।

संख्या–502/ औ0वि0/03– 143 उद्योग/2003 तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, निगमों व प्राधिकरणों को शासनादेश के अनुपालन हेतु सम्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल को अनुपालनार्थ।
3. गोपन अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
4. वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
5. सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को इस आशय से प्रेषित कि वे समस्त निगमों/उपकमों को शासनादेश के अनुपालन हेतु निर्देश जारी करें।

आज्ञा से,

(परम गुप्ता) 3/8/2003
अपर सचिव।